न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–81 / 2022
जीसीएमएस नं.–2022 / 212

तुषारसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

--- प्रार्थी

बनाम्

1. बलवीरकौर पत्नी सीतासिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं.–19 नया अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. उप पंजियक, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

----अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित–

1. श्री हरेन्द्रसिंह सेखो एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1 की ओर से

दिनांक :- 27/03/26

— :: निर्णय :: —

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से वाके चक 5 पी जी एम तहसील अनूपगढ़ का खाता सं.–48 का मु.नं.–46 पं.नं.–291 / 449 के किला नम्बर 1 / 1 का 0.202, 1 / 3 का 0.026, 2 / 1 का 0.228, 2 / 2 का 0.025 खाला, 3 / 1 का 0.228, 3 / 2 का 0.025 खाला, 3 / 1 का 0.228, 3 / 2 का 0.025 खाला, 4 / 1 का 0.228. 4 / 2 का 0.025 खाला, 5 / 1 का 0.228. 5 / 2 का 0.025 खाला, 6 ता 9 प्रत्येक 0.253, 10 / 1 का 0.228, 11 / 2 का 0.227, 12 ता 15 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल तादादी 3.719 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त कृषि भूमि को आयदा प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जाऐगा। अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी की दादी है अर्थात प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 के पुत्र सुरेन्द्रसिहं का पुत्र व अप्रार्थी सं.–1 का पौत्र है प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 सयुक्तं हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है वर्तमान में विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करता है कि प्रार्थी के दादा सीतासिहं की मौरजण्ड स्थित पैतृक कृषि भूमि थी जो प्रार्थी के दादा ने [illegible] की पैतृक कृषि भूमि को वैचान कर उसमें प्राप्त प्रतिफल राशि से विवादित [illegible] अपनी पत्नी यानि प्रार्थी की दादी अप्रार्थी सं.–1 के नाम से खरीद की [illegible] थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज है इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि अपार्थी सं.–1 की स्वयअर्जित सम्पति नहीं है बल्कि संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित सम्पति यानि प्रार्थी की पृतैक व सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हित निहित है फलस्वरूप प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का सहदायी है तथा प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का अशंधारी है तथा उक्त पैतृक एवं सहदायिकी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:42:46 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता है तथा विवादित भूमि में प्रार्थी के जन्मसिद्ध हिस्सा के समस्त हक अधिकार, अधिपत्य एवं स्वामित्व प्रार्थी में निहित हो चुके है। प्रार्थी का पिता सुरेन्द्रसिहं जो कि शराबी कबाबी है जो प्रार्थी की माता को बिना किसी युक्तियुक्त के मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करता रहा तथा प्राथी की नाबालिग अवस्था में ही प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी को मारपीट कर घर से निकाल दिया था तब से प्रार्थी अपनी माता के साथ चक 5 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ में रह रहा है प्रार्थी अब बालिग हो चुका है और अपने अधिकारो के प्रति पूर्ण सजग है प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.–1 को कई बार कहा कि विवादित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति है जिसमें प्रार्थीया का जन्मसिद्ध अधिकार है तथा अप्रार्थी सं.–1 द्वारा पारिवारिक समझौता के तहत भी 1/3 हिस्सा कृषि भूमि प्रार्थी को प्रदत कर दी थी जो प्रार्थी के सयुक्तं अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है इसलिए अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी के सहदायिकी अशं के 1/3 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें ताकि अपने हिस्सा को समुचित रूप से काश्त एवं सिंचित कर सके तो अप्रार्थी सं.–1 शीघ्र ही ऐसा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल करती रही। अप्रार्थी सं.–1 जो कि वृद्धावस्था की और अग्रसर है जो कि अपने परिवार के अन्य लोगो के अत्याधिक प्रभाव व दबाब में है तथा जो अप्रार्थी सं.–1 की वृद्धावस्था का वेजा फायदा उठाकर व प्रार्थी को उसके हक अधिकारो से वचित करने के दूंभावनापूर्वक आश्य से विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करवाने पर उतारू है तथा अब प्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि परिवार के वे ही लोग अब अप्रार्थी सं.–1 से उक्त विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करवाने अथवा अपने नाम से करवाने पर उतारू है ओर उक्त कृषि भूमि को अन्यत्रं हस्तान्तरित रहन बैचान करवाने के प्रयासरत है जिसके लिए उन्होंने कुछ वलाल किस्म के व्यक्तियो से बातचीत भी कर रखी है ओर जमीन अन्य व्यक्तियों को दिखाते फिर रहे है जिसका पता चलने पर प्रार्थी ने अर्सा 3 दिन पूर्व अप्रार्थी सं.–1 को उक्त विवादित भूमि में प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं.–1 ऐसा करने से साफ इंकार हो गई और अप्रार्थी सं.–1 परिवार के अन्य लोगो के उकसावे में आकर कहने लगी की यह विवादित कृषि भूमि में से प्रार्थी को कोई हिस्सा नहीं देगी बल्कि वह अपने नाम की उक्त विवादित भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र रहन, बेचान कर खुर्द बुर्व कर देगी। अप्रार्थी सं.–1 विवादित भूमि में प्रार्थी को उसके हक अधिकारों से वंचित करने के प्रयासरत है जिस सम्बंध में अप्रार्थी सं.–1 ने अर्सा 3 दिन पूर्व यह स्पष्ट धमकी भी दी है कि वह प्रार्थी को कोई हिस्सा नहीं देगी बल्कि वह समस्त भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र रहन, बेचान कर प्रार्थी को उसके जन्म से ही प्राप्त हक व अधिकारो से महरूम कर देगी अगर अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी को उनके हिस्सा अधिकार, हक से महरूम करने के आश्य से विवादित भूमि को येन केन प्रकरेण बैचान कर कर देती है और विवादित भूमि का रहन, बेचान [illegible] करने में अप्रार्थी से। कामयाब हो गई तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नु[illegible] हो [illegible] जिसकी क्षति पुर्ति मुद्रा की एवज मे नहीं हो सकेंगी। इसलिए प्रार्थी अपने [illegible]र एवं अधिपत्य को बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगण के [illegible] प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं.–1 विवादित कृषि भूमि वाके चक 5 पी जी एम तहसील अनूपगढ का खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:42:46 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सं–.48 का मु.नं.–46 पं.नं.–291/449 के किला नम्बर 1/1 का 0.202, 1/3 का 0.026, 2/1 का 0.228, 2/2 का 0.025 खाला, 3/1 का 0.228, 3/2 का 0.025 खाला, 3/1 का 0.228.3/2 का 0.025 खाला, 4/1 का 0.228, 4/2 का 0.025 खाला, 5/1 का 0.228, 5/2 का 0.025 खाला, 6 ता 9 प्रत्येक 0.253, 10/1 का 0.228, 11/2 का 0 227, 12 ता 15 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल तावादी 3.719 हेक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में बिना प्रार्थी के अधिकारों की घोषणा करवाये किसी भी तरीके से अन्यंत्र हस्तान्तरित, रहन, बेय, दान करने से निषिद्ध रहे तथा प्रार्थी के हिस्सा की भूमि पर प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की वैजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से व्यादेशित रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी 5 पीजीएम में निवास नहीं रहकर 5 एफ तहसील करणपुर मे अपनी माता व मन्शासिंह के साथ निवास कर रहा है। ना ही प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में पेश किया गया है। कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी सं.–1 के नाम से होना रिकॉर्ड का तथ्य है लेकिन उक्त कृषि भूमि को प्रार्थी द्वारा गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर विवादित किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की दादी नही है तथा ना ही मेरे पुत्र सुरेन्द्र का प्रार्थी पुत्र है और ना ही प्रार्थी मन अप्रार्थी का पोता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य नहीं हैं और ना ही मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है। उक्त सम्पति मन अप्रार्थी संख्या 1 की स्वंय की खरीदशुदा स्वअर्जित सम्पति है जो मुझ अप्रार्थी के कब्जा, काश्त अधिकार अधिपत्य, स्वामित्व में चली आ रही है। विवादित कृषि भूमि में मुझ अप्रार्थी की फसल बीजान्द है। अप्रार्थी सं.–1 के पति सीता सिंह के पास मौरजण्ड स्थित पैतृक कृषि भूमि नहीं थी और ना ही मौरजण्ड की पैतृक कृषि भूमि को बेचान कर उसमें प्राप्त प्रतिफल राशि से विवादित जमीन मुझ अप्रार्थी सं.–1 के नाम से सीता सिंह द्वारा खरीद की गई है। उक्त वर्णित भूमि मन अप्रार्थी संख्या 1 स्त्रीधन है जो मुझ अप्रार्थी सं.–1 की स्वयं अर्जित व खरीदशुदा जायदाद है। नाही उक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभिाजित सम्पत्ति या प्रार्थी की पैतृक या सहदायिकी सम्पत्ति है। विवादित कृषि भूमि की प्रार्थी पूर्ण स्वामिनी, धारक, रिकॉर्डेड टीनेन्ट, काबिज काश्त है ना ही वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से हित निहित है और ना ही प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का सहदायी या अंशधारी है और ना ही विवादित कृषि भूमि में 1/3 या कोई अंश बनता है। विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार कोई अंश, हित या हिस्सा, हक, अधिकार, अधिपत्य या स्वामित्व नहीं है। विवादित भूमि की अप्रार्थी सं.–1 पूर्ण स्वामिनी होने होने के कारण अपनी उपरोक्त सम्पत्ति का पूर्ण व निर्बाध उपयोग, उपभोग आदि करने की अप्रार्थी सं.–1 विधिक अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र Frivolous, vague, Bogus Claim पर [illegible] होने के कारण न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है इसलिए प्रार्थी का [illegible] प्राथमिक स्तर पर दबा दिए जाने योग्य [illegible] खारिज किए जाने योग्य है। सुरेन्द्र सिंह शराबी कवाबी नहीं है और ना ही सुरेन्द्र सिंह द्वारा कभी कमलजीत कौर को मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित व मारपीट [illegible] घर से निकाला बल्कि कमलजीत कौर ने मन अप्रार्थी के पुत्र सुरेन्द्र के साथ शादी के कुछ समय बाद ही मन्शासिंह निवासी 5 एफ तहसील करणपुर के साथ दुसरी शादी कर ली और मन्शासिंह उर्फ मनमोहन सिंह के साथ बतौर पत्नी चक 5 एफ तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:42:46 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

करणपुर में रहने लगी। जिस पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अनूपगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 419/2014 अन्तर्गत धारा 494 आई.पी.सी. मे द्वितिय विवाह करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाकर उसके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया। प्रार्थी 5 पीजीएम में निवास नहीं कर रहा है। ना ही मैं प्रार्थी की दादी हूँ और ना ही सुरेन्द्र सिह का प्रार्थी पुत्र है और ना ही प्रार्थी मेरा पौत्र है। ना ही विवादित कृषि भूमि सहदायिकी एवं पैतृक सम्पत्ति है और ना ही विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई अंश, हक व अधिकार है तथा ना ही मुझ अप्रार्थी सं.–1 द्वारा कभी किसी पारिवारिक समझौता के तहत 1/3 हिस्सा कृषि भूमि कभी प्रार्थी को प्रदत्त की है, और ना ही अप्रार्थी सं.–1 विवादित कृषि भूमि में से कोई अंश या भू–भाग प्रार्थी को आज या भविष्य में देना चाहती है। ना ही विवादित कृषि भूमि के किसी भू–भाग पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई अधिकार, अधिपत्य है। तमाम उक्त कृषि भूमि की में अप्रार्थी सं.–1 पूर्ण मालिक, काबिज है जो मुझ अप्रार्थी सं.–1 के अधिकार, अधिपत्य, कब्जा काश्त है तथा मौका पर मुझ अप्राथर्थी सं.–1 की फसल बीजान्द है। विवादित कृषि भूमि का तमाम राजस्व कर, सिंचाई कर मैं अप्रार्थी सं.–1 अदा कर रही हैं। प्रार्थी का विवादित कृषि भूमि से किसी प्रकार का कोई सरोकार वा वास्ता नहीं है। ना ही मुझ अप्रार्थी सं.–1 से कभी प्रार्थी मिला इसलिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं.–1 का विवादित कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम करवाने का कहने एवं मुझ अप्रार्थी सं.–1 द्वारा प्रार्थी के नाम भूमि करवाने का आश्वासन देने का का कथन पूर्णतया झूठा, गलत, निराधार, बेमानी है। इस में समस्त तथ्य प्रार्थी को वाद को तरतीब देने की गर्ज से झूठे, गलत, निराधार अंकित किये हैं। ना ही मुझ अप्रार्थी सं.–1 द्वारा विवादित कृषि भूमि का कोई अंश या हिस्सा कभी प्रार्थी को दिया गया और ना ही कभी प्रार्थी को कोई अंश या हिस्सा मैं अप्रार्थी सं.–1 देना चाहती हूँ। प्रार्थी द्वारा मुझ वृद्ध औरतजात को तंग, परेशान करने एवं झूठे तथ्यों पर मेरी कृषि भूमि हड़पने के लिए झूठा वाद पेश किया है जो इसी स्तर पर काबिल खारिज है। पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में समक्ष अपनी माता के जरिये एक झूठा व निराधार वाद पत्र प्रकरण संख्या 147/2013 बअनवानी तुषारसिंह बनाम बलवीरकौर आदि माननीय न्यायालय में पेश किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिंनाक 28.03.2016 को खारिज किया चुका है। प्रार्थी पुनः वाद लाने का अधिकारी नहीं है। ना ही प्रार्थी का वाद मय प्रार्थना पत्र पोषणीय है। अप्रार्थी सं.–1 अपने समस्त निर्णय व कार्य अपनी स्वेच्छया, पूर्ण होश हवाश व विवेक से स्वयं कर रही है जिसमें किसी व्यक्ति का कोई दखल या दबाव और प्रभाव नहीं है और इस प्रकरण में भी अप्रार्थी सं.–1 स्वयं पैरवी कर रही है। ना ही परिवार का कोई सदस्य विवादित भूमि खुर्द–बुर्द करवाना चाहता है। ना ही विवादित भूमि मे प्रार्थी का कोई अधिकार व अधिपत्य है। ना ही वाद से अर्सा 3 दिन पूर्व मुझ अप्रार्थी सं.–1 से प्रार्थी मिला इसलिए प्रार्थी द्वारा वाद से तीन दिन पूर्व 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम करवाने बाबत कहने एव अप्रार्थी सं.–1 द्वारा इकार करने व भूमि खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने का कथन पूर्णतः झूठा होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि हड़प करने के आशय से मुझ अप्रार्थी पर दबाव बनाने के लिये पुनः यह झुठा मुकदमा किया है। प्रार्थी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है इसलिए प्रार्थी का वाद व प्राथना पत्र काबिल खारिज है। अप्रार्थी सं.–1 से प्रार्थी नहीं मिला इसलिए किसी प्रकार की कोई धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थी मन अप्रार्थी का पोता नही है तथा प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थी को किसी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:42:46 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अपूर्णीय क्षति होने या धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और ना ही प्रार्थी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा या अनुतोष अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का हकदार है। विवादित भूमि की अप्रार्थी सं.–1 पूर्ण स्वामिनी होने होने के कारण अपनी उपरोक्त सम्पत्ति का पूर्ण व निर्बाध उपयोग, उपभोग करने की अप्रार्थी सं.–1 विधिक अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र Frivolous, vague, Bogus Claim पर आधारित होने के कारण न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है इसलिए प्रार्थी का वाद बिना विचारण किए प्राथमिक स्तर पर दबा दिए जाने योग्य है एवं वाद काबिल खारिज है। प्रार्थी झूठे वाद के आधार पर मुझ अप्रार्थी सं.–1 को अनावश्यक तंग परेशान कर व मुकदमेबाजी में उलझा कर वाद की आड़ में बेईमानी व दुर्भावनापूर्वक विवादित कृषि भूमि हड़प करना चाहता है। प्रार्थी कतई सद्भाविक नही है। चूंकि प्रार्थीया विवादित कृषि भूमि की खरीददार, रिकॉर्डेड टीनेन्ट, मालिक, काबिज है इसलिए मुझ अप्रार्थी सं.–1 के विरूद्ध प्रार्थी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा या अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, प्रकरण काबिल खारिज है। प्रार्थी के किसी प्रकार की कोई अपूर्णिय क्षति है। मेरे जीवनकाल में मेरी सम्पति पर किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार, अधिप्तय वादी का नहीं है। मन अप्रार्थी को उक्त भूमि के निर्बाध उपयोग, उपभोग का पूर्ण अधिकार है। माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्णिय क्षति मन अप्रार्थी को होगी।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी की दादी है प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 के पुत्र सुरेन्द्रसिह का पुत्र व अप्रार्थी सं.–1 का पौत्र है प्रार्थी व अप्रार्थीया सं.–1 सयुक्तं हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है प्रार्थी के दादा सीतासिहं की मौरजण्ड स्थित पैतृक कृषि भूमि थी जो प्रार्थी के दावा ने मौरजण्ड की पैतृक कृषि भूमि को बैचान कर उसमें प्राप्त प्रतिफल राशि से विवादित जमीन अपनी पत्नी यानि प्रार्थी की दादी अप्रार्थी सं.–1 के नाम से खरीद की गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि सयुक्तं हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक सम्पति है जो कि प्रार्थी के सयुक्तं परिवार की पैतृक एवं सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हित निहित है फलस्वरूप प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का सहदायी है उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थी परिवार की आमदन का एक मात्र साधन है तथा जो प्रार्थी के संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है चूकिं प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 हिन्दू विधि, हिन्दू उत्तराधिकार से प्रभावित होते है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी का अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज विवादित कृषि भूमि में जन्म से ही जन्मसिद्ध अधिकार व अधिपत्य है। इसलिये प्रार्थी के अधिकारों की सुरक्षा के लिये अप्रार्थीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीया सं.–1 ने अभिकथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की दादी नही है तथा ना ही मेरे पुत्र सुरेन्द्र का प्रार्थी पुत्र है और ना ही प्रार्थी मन अप्रार्थी का पोता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:42:46 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सदस्य नहीं हैं और ना ही मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है। अप्रार्थीया संख्या–1 की उक्त विवादित भूमि खरीदशुदा स्वःअर्जित कृषि भूमि है, विवादित भूमि पैतृक सम्पति नहीं है अप्रार्थी सं.–1 के पति सीता सिंह के पास मौरजण्ड स्थित पैतृक कृषि भूमि नहीं थी और ना ही मौरजण्ड की पैतृक कृषि भूमि को बेचान कर उसमें प्राप्त प्रतिफल राशि से विवादित जमीन मुझ अप्रार्थी सं. –1 के नाम से सीता सिंह द्वारा खरीद की गई है। उक्त वर्णित भूमि मन अप्रार्थी संख्या 1 स्त्रीधन है जो मुझ अप्रार्थी सं.–1 की स्वयं अर्जित व खरीदशुदा जायदाद है। तथा अप्रार्थीया संख्या 1 अभी जीवित है। इस भूमि पर अप्रार्थीया संख्या–1 के अलावा किसी का अधिकार नहीं है। अप्रार्थीया संख्या–1 अपने जीवनकाल में स्वंय अकेली ही उक्त कृषि भूमि की मालिक व स्वामिनी है। पूर्व मे प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपनी माता के जरिए कमलदीपकौर के जरिए विवादित भूमि के सबधं में वाद पेश किया गया है उसके बाद प्रार्थी द्वारा तथ्यो को छुपाकर पुनः वाद इस न्यायालय में पेश किया है जो कि प्रार्थी स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नही आया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता चूंकि विवादित भूमि अप्रार्थीया सं.–1 की खरीदशुदा स्वःअर्जित कृषि भूमि है विवादित कृषि भूमि की अप्रार्थी सं.–1 अकेली व पूर्ण स्वामिनी है और अप्रार्थी सं.–1 अपनी स्वःअर्जित कृषि भूमि का निर्बाध उपयोग, उपभोग करने की विधिअनुसार हकदार है। अप्रार्थी सं.–1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद और निर्बन्धित करवाने के प्रार्थी कतई अधिकारी नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नहीं होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीया के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीया को ज्यादा असुविधा होगी एवं अप्रार्थीया कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षतिः–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीया के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रही है। अप्रार्थीया जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थीया के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीया अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगी। जिससे अप्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज **दिनांक** 07/03/ को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 16:42:46 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़